न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राज0)

अपील संख्या:— 12/133/2023 रजू दिनांक: 21.11.2023 रजि0 न0 2023/704

अपीलार्थी:—

श्री विरेन्द्र सिंह यादव () ग्राम—पोस्ट फौलादपुर, तहसील नीमराना, जिला कोटपुतली—बहरोड़ (राजस्थान)

प्रत्यर्थी:—

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर, जिला अलवर (राजस्थान) 301001

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांक:— 26.12.2023

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा—6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 20.08.2023 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 05.12.2023 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया तथा प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी ने जरिये प्रतिलिपि पत्र कमांक लो0सू0अ0/प्रथम अपील/2023/1681 दिनांक 15.09..2023 के माध्यम से वांछित सूचना के संबंध में राशि रू 10/— (दस रूपये मात्र) फोटोप्रति शुल्क जमा राजकोष कराने हेतु लिखा गया था जो काफी समयावधि गुजरने के पश्चात् भी जमा राजकोष नहीं कराये जाने के कारण कार्यालय के पत्रांक लो0सू0अ0/प्रथम अपील/2023/2027 दिनांक 26.10..2023 के माध्यम से सूचना आवेदन खारिज करते हुए विनिश्चय किया जाकर सूचित किया जा चुका है। तथापि यदि वांछित सूचना के संबंध में आवेदक उक्तानुसार फोटोप्रति शुल्क जमा राजकोष करा देता है तो नियमानुसार सूचना प्रेषित कर दी जावेगी। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपील अपीलर्थी खारिज किये जाने योग्य है।
6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 26.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(अखिल चतुर्वेदी)
जिला कलक्टर अलवर
(राज0)